न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

तारीख हुक्म	
	76/2023
[illegible]	प्रार्थना पत्र [illegible] शामिल पत्रावली किया [illegible] [illegible] साक्ष्य वादी पत्रावली दिनांक 03-08-2023 को पेश हो। पीठासीन अधिकारी जयपुर प्रशिक्षण में जयपुर में [illegible] हैं। दिलीप सिंह सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)।
03-8-23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित/ पीठा. अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 18.8.23 को पेश हो।
18.08.23	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 की तामील रजिस्ट्रर्ड डाक से करवाने के बावजूद आजतक कोई हाजिर नहीं आया है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील वादी ने प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं कर सीधे ही साक्ष्य वादी में पूर्व प्रस्तुत मुख्य परीक्षण के शपथ पत्रों को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया। वकील वादी की सहमति के आधार पर प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं कर के सीधे ही साक्ष्य वादी प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है। पूर्व में प्रस्तुत मुख्य परीक्षण के शपथ पत्रों को साक्ष्य वादी में ग्रहण किये जाने की अनुमति दी जाती है। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में वकील वादी ने जमाबंदी किता 2 पेश की, जिनको शामिल पत्रावली किया गया। बहस वकील वादी एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 28.08.2023 को पेश हो। (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)
28.08.23	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी की बहस एकपक्षीय पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकील वादी की बहस पर मनन किया। प्रकरण में वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र मय दस्तावेजात, मुकदमा राजस्व रिकॉर्ड एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार कर वादपत्र डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों। 28/08/23 (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.11 10:25:23 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
76 / 2023	2023 / 157	17.05.2023	28.08.2023

उनवान

1. ख्वाजा पुत्र फकीर उम्र 66 वर्ष जाति तेली निवासी ग्राम जुगलपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

— वादी—

बनाम

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

—प्रतिवादीगण —

उपस्थित : –

श्री विक्रम सिंह बांकावत एड0 वादी अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या–1

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

वाद बाबत इस्तकार हक, दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड एवं स्थायी निषेधाज्ञा
(अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम)

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 898 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 899 रकबा 2.03 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.4 है0 अवस्थित तन ग्राम जुगलपुरा पटवार हल्का सांवलपुरा [illegible] तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान के हिस्सा 1/10 वादी काबिज खातेदार [illegible] है। उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम खाजू खां पुत्र फकीर [illegible] चला रहा है। जबकि वादी के अन्य समस्त सरकारी दस्तावेजात राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.11 10:25:23 IST
Reason: SelfAttested

28/08/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

आदि में वादी का नाम ख्वाजा पुत्र फकीरा नाम दर्ज चला आ रहा है। जिस बाबत वादी ने शासकीय गजट में भी अधिसूचना निकलवाई है, परन्तु उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड मं वादी का नाम खाजू खां दर्ज होने के कारण व आधार कार्ड आदि अन्य समस्त दस्तावेजात में वादी का नाम ख्वाजा दर्ज होने के कारण वादी उक्त भूमि पर मिलने वाले सरकारी अनुदान सहायता आदि प्राप्त नहीं कर पा रहा। इसलिये उक्त वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड मं वादी का नाम खाजू खां की जगह ख्वाजा दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाकर वादी को काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। वादी ने उक्त भूमि की खातेदारी दुरूस्त करवाने के लिए दिनांक 26.04.2023 को प्रतिवादी संख्या 1 को प्रार्थना पत्र दिया। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 ने न्यायालय के आदेश से उक्त भूमि की खातेदारी दुरूस्त करके बाबत अवगत करवाने पर, वादकारण उत्पन्न हुआ। वादी द्वारा प्रकरण में अनुतोष इस प्रकार चाहा है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 898 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 899 रकबा 2.03 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.4 है0 अवस्थित तन ग्राम जुगलपुरा पटवार हल्का सांवलपुरा तंवरान तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम खाजू खां पुत्र फकीरा की जगह ख्वाजा पुत्र फकीरा दुरूस्त किया जाकर वादी को उक्त भूमि का काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जावें एवं उक्त कृषि भूमि पर बिना विधिक बंटवारे हुये, बिना आवासीय संपरिवर्तन के निर्माण आदि नहीं होने, उक्त कृषि भूमि का अकृषि उपयोग नहीं होने देवे, राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने के लिए प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करवाने हेतु निवेदन किया।

इस पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड डाक व साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किये जाने के आदेश दिये गये। बावजूद तामिल हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में वादी ने साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यू–1 के रूप में स्वयं को, पीडब्ल्यू–2 शिम्भूदयाल मीणा के मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र पेश किये, जिनको शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादी ने वादपत्र में बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की जाकर सीधे ही वकील वादी की बहस एकपक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली व पत्रावली पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.11 10:25:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर

28/08/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकार्ड अंतिम चौसला आधार जमाबंदी संवत् 2074–2077, आधार कार्ड, पेन कार्ड, महाराष्ट्र शासन राजपत्र इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा 898 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 899 रकबा 2.03 है0 अवस्थित ग्राम जुगलपुरा, पटवार हल्का सांवलपुरा तंवरान तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान की खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में खाजू खां पुत्र फकीरा के नाम से दर्ज है, जबकि वादी के अन्य सरकारी दस्तावेजात में वादी का नाम ख्वाजा पुत्र फकीरा है। जिसको वादी दुरूस्त करवाकर खाजू खां पुत्र फकीरा की जगह ख्वाजा पुत्र फकीरा करवाना चाहता है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य से वादी का का वादपत्र स्वीकार होने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत् घोषणा एवं दुरूस्ती रिकार्ड को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 898 रकबा 0.01 है0 व खसरा नम्बर 899 रकबा 2.03 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.4 है0 अवस्थित तन ग्राम जुगलपुरा पटवार हल्का सांवलपुरा तंवरान तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में खाजू खां पुत्र फकीरा के नाम दर्ज हिस्सेनुसार भूमियों में वादी का नाम खाजू खां पुत्र फकीरा की जगह ख्वाजा पुत्र फकीरा राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखित दफ्तर हो।

28/08/23
(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

28.08.2023

यह निर्णय आज दिनांक 28.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.11 10:25:23 IST
Reason: SelfAttested

28/08/23
(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर